

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III / 1596

दिनांक :- 11/06/2018

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय के कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश / पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

क्र.स. (1)	लैंक नं. (2)	नाम (सर्वश्री) / पदनाम (3)	वर्तमान विभाग (4)	अतिरिक्त कार्य का विभाग (5)	अतिरिक्त कार्य का पद (6)
1	3847	अशोक कुमार जैन / कनिष्ठ लेखाकार	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अजमेर - 1091	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर - 954	कनिष्ठ लेखाकार
2	9306	राकेश कुमार भाटी / कनिष्ठ लेखाकार	वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, अजमेर - 1136	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर - 954	कनिष्ठ लेखाकार

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III / 1597 - 1603

दिनांक :- 11/06/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II) / संयुक्त निदेशक (कार्मिक III)।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित निजी पत्रावली।

निदेशक